

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09052025-263002
SG-DL-E-09052025-263002असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]	दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41
No. 141]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947	[N. C. T. D. No. 41

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2025

फा. सं. 8/95/2020/गृह पुलिस-II/पार्ट फाइल-I/- 312-325.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० 11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 02) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित 11 विशेष लोक अभियोजकों के संबंध में दिनांक 24.06.2020 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना तथा 03 विशेष लोक अभियोजकों के संबंध में दिनांक 26.07.2021 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर श्री मधुकर पांडे की नियुक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क/153-क/153-ख/505 एवं 13 विधिविरुद्ध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस स्टेशन-अपराध शाखा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख/302/307/124-क/153-क/186/332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109/114/147/148/149 के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2020 की 59/20 एवं 25/27 सशस्त्र अधिनियम तथा यूएपी अधिनियम, 1967 का 13/16/17/18 तथा 3/4 पीडीपीपी अधिनियम, पुलिस स्टेशन-अपराध शाखा के अन्तर्गत एफआईआर संख्या 22/20 के मामले में समस्त कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अन्तर्गत "विशेष लोक अभियोजक" के रूप में आगे भी करते हैं:-

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
प्रति सुनवाई उपस्थिति	40,000 / – रुपये
सम्मेलन शुल्क (प्रति सम्मेलन)	20,000 / – रुपये
आपराधिक पुनरीक्षण आदि याचिकाओं का प्रारूपण	1,00,000 / – रुपये
प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	25,000 / – रुपये
आवेदन के प्रति उत्तर प्रारूपण शुल्क	25,000 / – रुपये
लिपिकीय प्रभार	सम्पूर्ण बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2025

F.No. 8/95/2020/HP-II/pt.file-I/312-325.—In continuation of earlier Notification of even no. dated 24-06-2020 vide which 11 Special Public Prosecutors and Notification of even no. dated 26.07.2021 vide which 3 Special Public Prosecutors were notified in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority is pleased to further appointment of Sh. Madhukar Pandey as “Special Public Prosecutor”, U/s 15 NIA Act, 2008 to conduct all proceedings in Case FIR No 22/20 U/s 124-A/153-A/153-B/505 IPC & 13 Unlawful Activities (Prevention) Act, PS-Crime Branch, and 59/20 dated 06.03.2020 under sections 120B/302/307/124-A/153-A/186/332/353/212/395/427/341/435/ 436/ 452/ 454/109/114/147/148 /149/IPC and 25/27 Arms Act and 13/16/17/18 of UAP Act, 1967 and 3/4 PDPP Act, PS- Crime Branch on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 20.11.2024:-

Detail of work	Proposed fee
Appearance per hearing	Rs. 40,000/-
Conference fee (per conference)	Rs. 20,000/-
Drafting such as petitions, criminal revision etc.	Rs. 1,00,000/-
Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
Drafting fee per reply to application	Rs. 25,000/-
Clerkage Charges	10% of full bill amount

This issues with the approval of Hon’ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of The National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy.